बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०–2/आर–109/2026– /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० मनीषा सिंह, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बनमनखी, पूर्णियॉ द्वारा अध्ययन में बितायी गयी अवधि दिनांक–17.09.2020 से 31.08.2023 तक को विभागीय अधिसूचना संख्या–2045(2) दिनांक–30.11.2011 के आलोक में असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(राजीव रंजन)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–2/आर–109/2026– 1923(2) पटना, दिनांक 7/8 /2026

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियॉ/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, बनमनखी, पूर्णियॉ/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियॉ/डा० मनीषा सिंह, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बनमनखी, पूर्णियॉ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

प्रतिलिपिः आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06/8/2026
सरकार के अवर सचिव।
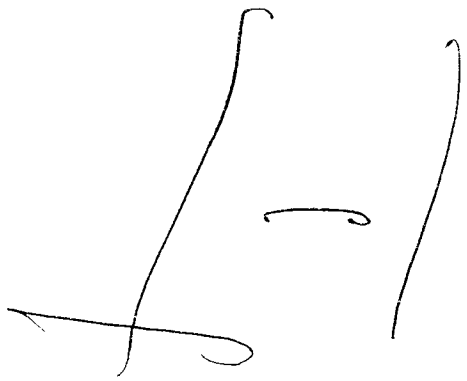
D>sec-2>2026>adesh 2026